न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1383–दो/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–9–10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 114/2009–10 अपील.

———

सखाराम आत्मज आबासाहेब सरदेसाई,
निवासी 86 वररूचि मार्ग, माधवनगर, उज्जैन
द्वारा – मुख्त्यारआम जयकुमार सरदेसाई
आत्मज नरसिंहराव सरदेसाई
निवासी 86, वररूचि मार्ग, माधवनगर,
उज्जैन ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा – नायब तहसीलदार,
तहसील, उज्जैन. ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक २० मार्च २०१५ को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 114/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–9–10 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम उण्डासा (चक) तहसील व जिला उज्जैन स्थित प्रश्नाधीन कृषि भूमि सर्वे नं. 33/1/2 रकबा 1.045 हैक्टर के सह भूमिस्वामी सखाराम पुत्र आबा साहेब सरदेसाई तथा अरूणकुमार पिता खण्डूभाई मेहता थे । अरूण कुमार मेहता की मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के

तहत विचारण न्यायालय में वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया । विचारण न्यायालय ने वसीयत के गवाहों को न्यायालय में पेश नहीं किए जाने के कारण आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 31.10.09 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को अपंजीकृत मानकर नामांतरण आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है । अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि वसीयतनामा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया वसीयत पर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई थी ऐसी स्थिति में साक्षियों पर प्रतिपरीक्षण होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । वसीयत निर्विवादित है । वृद्ध व्यक्ति द्वारा इच्छापत्र निष्पादित होने से उसे संदिग्ध नहीं माना जा सकता । नामांतरण प्रकरण के लिए संहिता की धारा 110 के तहत बने नियम 31, 32 में यदि नामांतरण पर विवाद हो तो संक्षिप्त जांच के पश्चात निराकरण का प्रावधान है । संक्षिप्त जांच की प्रकिया के लिए धारा 43 संहिता के प्रावधानों के अनुसार सी.पी.सी. द्वारा विहित प्रकिया का पालन किया जायेगा । सी.पी. सी. में दिनांक 1–7–2002 से प्रभावशील संशोधन द्वारा साक्षियों का कथन मुख्य परीक्षण शपथपत्र के रूप में ग्रहण किए जाने का प्रावधान आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. में दिए गए हैं । इन प्रावधानों के प्रकाश में शपथपत्र मुख्य परीक्षण प्रस्तुत करना पर्याप्त है । इण्डियन सक्सेशन एक्ट की धारा 63 के तहत वसीयत किस प्रकार प्रमाणित की जा सकेगी स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं । इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 18 के तहत इच्छापत्र का पंजीयन अनिवार्य नहीं है । विचारण न्यायालय के

समक्ष ऐसी कोई परिस्थिति रिकार्ड पर नहीं आई जिससे कि इच्छापत्र पर आक्षेप किया गया हो अथवा आवेदन पत्र पर आपत्ति की गई हो । अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 355, 2003 (1) जे.एल.जे. 171, 2007 (1) एम.पी.एल.जे. 499 एवं 1998 (1) जे.एल.जे. 290 प्रस्तुत किये ।

यह तर्क दिया गयाकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत खसरा नकल पर कोई विचार नहीं किया है और यह मानने में त्रुटि की है कि संपत्ति स्वअर्जित थी, ऐसा प्रमाण पेश नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि वसीयत कहीं भी निष्पादित की जा सकती है । स्व. अरूण कुमार मृत्यु पूर्व मुम्बई में निवास करते थे और वहीं पर रहकर उन्होंने वसीयत निष्पादित की । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानने में त्रुटि की है कि वसीयतनामा मुम्बई में लिखा गया है, इसलिए शंकास्पद है ।

यह तर्क दिया गया कि वसीयत के निष्पादन के साक्षियों के समय जो पते थे, वही लिखवाए गए थे और मुख्य परीक्षण शपथपत्र प्रस्तुत करने के समय जो पते थे, वे लिखवाए गए थे । विचारण न्यायालय के समक्ष साक्षीगण के वास्तविक पते ही बताए गए थे । अतः विचारण न्यायालय द्वारा यह मानना कि साक्षियों के पते में भिन्नता है, त्रुटिपूर्ण है इस तथ्य पर अपीलीय न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया ओर न इस बिंदु पर कोई निष्कर्ष दिया है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने तथा वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण किए जाने के आदेश देने का अनुरोध कियाग या है ।

4– अनावेदक शासन की ओर से प्रकरण में सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण

में साक्षियों के शपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें साक्षी सभाजी ने कथन किए हैं कि अरूण कुमार मेहता को जानते हैं । अरूण कुमार मेहता सखाराम सरदेसाई के साथ रहते थे । अरूणकुमार मेहता ने इच्छापत्र निष्पादित किया था जिस पर अरूणकुमार मेहता ने साक्षी संभाजी तथा अन्य साक्षी भास्कर बोड़े के समक्ष हस्ताक्षर किए और साक्षियों ने अरूणकुमार मेहता के सामने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने यह भी कथन दिए हैं कि अरूणकुमार मेहता की मृत्यु हो गई है तथा उनका अंतिम संस्कार एवं उत्तर कार्य दसवां एवं ग्यारवां सखाराम सरदेसाई ने संपन्न किए हैं । साक्षी भास्कर बोड़े ने भी संभाजी जाधव के कथनों की पुष्टि की है । इन दोनों साक्षियों के शपथपत्र पर मुख्य परीक्षण के अलावा साक्षी नरसिंहराव सरदेसाई ने न्यायालय में उपस्थित होकर कथन दिए हैं । साक्षी नरसिंह राव सरदेसाई से अधीनस्थ विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमीर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लि. विरूद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लि. ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 355 में यह सिद्धांत दिया है कि मुख्य परीक्षण शपथपत्र के रूप में आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत दिया जायेगा । पक्षकार के उपस्थित रहने की अनिवार्यता भी नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ने शिवप्रसाद विरूद्ध श्रीमती भुवानीबाई 2007 (1) एम.पी.एल.जे. 499 में वसीयत के संबंध में यह व्याख्या की है कि " वसीयत – सबूत – न्यायालय का कर्त्तव्य जहां एक पक्षकार उसका मामला वसीयत के आधार पर स्थापित कर रहा हो और दूसरा पक्षकार वसीयत का निष्पादन करते हुए यह अभिवाक् करता है कि वसीयत पूर्णतया संदेहास्पद एवंसंदिग्ध है तो ऐसी हालत में न्यायालय को वसीयत सभी संदेहों से मुक्त है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से वसीयतकर्ता की कुर्सी पर बैठना होगा ।" माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ने वाहिद खान विरूद्ध म.प्र. राज्य 1998 (1) जे.एल.जे. 290 में साक्षी के कथनों के संबंध में यह व्याख्या की है कि साक्षी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह कानूनी शब्दावली का

कथन में उपयोग करे – उसकी क्या व्यक्त करने की इच्छा है, न्यायाधीश द्वारा समझा जाना होगा । उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के प्रावधानों का सही रूप से पालन नहीं किया है । साक्षियों के कथनों से स्व. अरूणकुमार द्वारा वसीयत निष्पादित करना प्रमाणित होता है । विधि के अंतर्गत साक्षियों का न्यायालय में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है जबकि प्रकरण में प्रमाण साक्षी नरसिंह राव का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनुमान लगाकर इच्छापत्र को स्वेच्छा से निष्पादित होना प्रमाणित न मानना अनुचित है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नामांतरण आवेदन स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे ग्राम उण्डासा (चक) स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 33/1/2 रकबा 1.045 हैक्टर पर वसीयतकृर्ता मृतक अरूण कुमार मेहता का नाम कम कर उसके स्थान पर वसीयतगृहीता आवेदक का नामांतरण दर्ज करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर